न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	अप्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकील प्रार्थीगण के निवेदन व वकील अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 16.10.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
16.10.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 का निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 16/10/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर :– 146/2017
जी0सी0एम0एस0 नम्बर :– 2017/000308
पुनः दायर दिनांक :– 02.05.2017
निर्णय दिनांक :– 16.10.2023

उनवान प्रकरण

1. रामचन्द्र पुत्र बालूराम उम्र 45 साल
2. भगवान सहाय पुत्र बालूराम
3. मन्नी देवी बेवा हणमान सहाय
4. हरफुलसिंह पुत्र कजोडमल

जाति जाट निवासी ढाणी छिलावाली तन ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. नानगराम पुत्र मंशाराम (मृत्तक के स्थान पर)
   1/1 गणपतलाल पुत्र नानगराम
   1/2 किशनलाल पुत्र नानगराम
   1/3 ऑची देवी पुत्री नानगराम
   1/4 चौथी देवी पुत्री नानगराम
   1/5 रामेश्वरी देवी पुत्री नानगराम
   1/6 जमना देवी पत्नि नानगराम
2. झूंथाराम पुत्र मंशाराम
3. रामपाल पुत्र मंशाराम
4. मक्खनलाल पुत्र मंशाराम
5. भैरूराम पुत्र मंशाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:20 IST
Reason: SelfAttested

16/10/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

समस्त जाति माली निवासी ढाणी छिलावाली तन ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

6. पटवारी हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

7. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

8. मैनेजर एस0 बी0 आई0 बैंक शाखा रींगस

—अप्रार्थीगण

—:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> ::—

उपस्थितिः—

1. **श्री सरदार कुडी, अभिभाषक —प्रार्थीगण की ओर से ।**
2. **श्री भंवर सिंह बिजारणियां, एड0 अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/6, 2 लगायत 4 की ओर से।**
3. **तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी सं. 7 की ओर से।**

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1549 रकबा 1.70 हैक्टर व खसरा नम्बर 1552 रकबा 0.92 हैक्टर तन ग्राम छीलावाली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित हैं। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1549 में पुख्ता मकानात बनाकर रिहायश करते आ रहे है तथा काबिज काश्त चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर 1549 व उसमें स्थित प्रार्थीगण के मकानात तक आवागमन का रास्ता मुख्य सड़क रींगस—श्रीमाधोपुर से अप्रार्थीगण 1 ता 5 की हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1552 में से उत्तरी सीमा के सहारे—सहारे होता हुआ चला आ रहा है। जिसे नजरी नक्शा/नक्शा ट्रेस में वरंग लाल से दर्शित यिका गया हैं। जिससे होकर प्रार्थीगण आवाग[illegible] आ रहे हैं तथा प्रार्थीगण का आवागमन का यही एक मात्र रास्ता [illegible] अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के उक्त आवागमन का यही एक मात्र रास्ता है अन्य को[illegible]रास्ता नही हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:20 IST
Reason: SelfAttested

16/10/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला—नीमकाथाना

के उक्त आवागमन के एक मात्र रास्ता में बाधा कारीत करते है तथा रास्ता में अतिक्रमण कर रास्ता को अवरूद्ध कर दिया है। इसलिए उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में कायम करवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है तथा यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 07–07–2012 को गांव के सरपंच व उप सरपंच एवं मौजीज व्यक्तियों व पुलिस की उपस्थिति में रास्ता निकलवाकर दिया था। जिसकी बाबत अप्रार्थीगण ने अपने हस्ताक्षर कर उक्त रास्ता बाबत सहमति दी थी तथा रास्ता को बंद नही करने बाबत लिखा दिया था परन्तु बाद में अप्रार्थीगण ने रास्ता को बंद कर दिया हैं। जिससे प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति हो रही हैं। प्रार्थीगण का उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में कायम नही होने से प्रार्थीगण को सख्त हक तलफी है तथा प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति हो रही है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के आवागमन में बाधा कारित करते है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1549 रकबा 1.70 हैक्टर तन ग्राम छीलावाली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 व उसमें स्थित प्रार्थीगण के मकानात तक आवागमन के रास्ता जो 15 फुट चौडाई का भूमि खसरा नम्बर 1552 में से उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे होता हुआ चला आ रहा है। जिसे नजरी नक्शा/नक्शा ट्रेस में बरंग लाल से दर्शित किया गया है। उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में कायम करवाये जाने व अप्रार्थीगण का अतिक्रमण हटवाये जाने तथा रास्ता चालू करवाये जाने का आदेश चाहे जाने पर न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान् की सुनवाई की जाकर बाद सुनवाई प्रकरण में दिनांक 12.06.2013 को विस्तृत रूप से निर्णय पारित किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 1552 रकबा 0.92 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम छिलावाली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में से 328 वर्गमीटर भूमि को सिवायचक घोषित की जाकर उसकी राजस्व रिकार्ड में किस्म गै0मु0 रास्ता डी0एल0सी0 दरों के दो गुणा राशि का भुगमान किये जाने की शर्त पर रास्ता दर्ज किये जाने एवं तहसील [illegible] को पालना किये जाने बाबत निर्णय पारित किया गया था।

इस न्यायालय द्वारा [illegible] उक्त निर्णय/आदेश दिनांक 12.06.2013 के विरूद्ध अप्रार्थीगण के द्वारा अपीलार्थी [illegible]नकर माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के यहॉं अपील संख्या 118/2013

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:20 IST
Reason: SelfAttested

16/10/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

उनवानी नानगराम वगै0 बनाम रामचन्द्र वगै0 अपील पेश की गई थी। जो बाद उभय पक्षकारान् की सुनवाई उपरान्त दिनांक 15.03.2016 को पारित निर्णयानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2013 को खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई का एंव साक्ष्य पेश करने का अवसर देते हुए तहसीलदार/नायब तहसीलदार से मौका रिपोर्ट उभयपक्षों की मौजूदगी में तैयार करवाकर मॅगवाई जाकर अपना निर्णय पुनः पारित करने बाबत निर्देशित किया गया है।

माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के द्वारा अपील संख्या 118/2013 उनवानी नानगराम वगै0 बनाम रामचन्द्र वगै0 में पारित निर्णय की पालना में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अदालती नोटिस से तलब किया गया। जिस पर प्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट की ओर से श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम व अप्रार्थीगण/अपीलान्टस 1/1 से 1/6 व अप्रार्थीगण नम्बर 2 ता 4 की ओर से श्री भंवर सिंह चौधरी एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 8 की तामील सम्यक होकर लौटी हैं। बावजूद तामील हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब एंव साक्ष्य पेश करने हेतु कई बार अवसर दिये गये परन्तु बावजूद अवसरों के भी अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब या साक्ष्य इत्यादि पेश नहीं किये गये। जिस पर वकील अप्रार्थीगण का जवाब देही का अवसर बन्द किया जाकर अन्तिम बहस में भाग लिये जाने हेतु अवसर दिया गया। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1866/राजस्व दिनांक 18.09.2019 के द्वारा चाही गई, जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1883/राजस्व/[illegible] जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने वस्तुस्थिति की [illegible]त्मक [illegible]का जॉच रिपोर्ट दिनांक 09.10.2019 को उभय पक्षकारान् [illegible] भी कोई उभय पक्षकारान् मौके पर उपस्थित नहीं आने की रिपोर्ट अं[illegible] करते हुए भू0अ0नि0 महरोली व पटवारी हल्का महरोली की संयुक्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपनी जॉच रिपोर्ट में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:20 IST
Reason: SelfAttested

16/10/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

अवगत कराया कि प्रार्थीगण का मकान खसरा नम्बर 1549 के उतरी पूर्वी कोने में बना हुआ है। इस खसरा नम्बर के पूर्व की ओर खसरा नम्बर 1550 व 1552 व उतरी पूर्वी कोने में खसरा नम्बर 1442/1 व दक्षिण में खसरा नम्बर 1553 स्थित होकर राजस्व रिकार्ड में उक्त किसी भी खसरा नम्बर में से 1549 में आने जाने के लिये रास्ता कटा हुआ नहीं होने तथा खसरा नम्बर 1442/1 में पुख्ता आवासीय मकान व दुकाने बनी हुई होने से इस खसरा नम्बर में से होकर सडक पर पहुंच संभव नहीं होने तथा प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1552 की उतरी सीमा पर पश्चिम में पूर्व की ओर मुख्य श्रीमाधोपुर सडक तक रास्ता चाहे जाने तथा खसरा नम्बर 1549 में जाने के लिये सबसे लघुतम रास्ता भी खसरा नम्बर 1552 की उतरी सीमा से ही होने एंव अन्य कोई खसरा नम्बर 1549 में पहुंच के लिये रास्ते का लघुतम विकल्प नहीं होने बाबत अवगत कराया हैं। खसरा नम्बर 1552 में उतरी सींव पर पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ता 82 मीटर लम्बाई में होकर 4 मीटर चौडा रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया है। जिसका कुल क्षेत्रफल 328 वर्गमीटर बनता है। खसरा नम्बर 1552 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में किशनलाल गणपतराम पि0 नानगराम हिस्सा 1/5 झूंथाराम, भैरूराम मक्खनलाल रामपाल पुत्र मंशाराम हिस्सा 4/5 जाति माली के नाम से दर्ज है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये खसरा नम्बर 1552 में रास्ते को नजरी नक्शा में उत्तरी सीमा पर लाल स्याही से नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते के रूप में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दर्शाया गया है।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक मौका जॉच रिपोर्ट में वर्णित रास्ते से वकील प्रार्थीगण ने सहमति व्यक्त करते हुए उसी अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण ने निवेदन करते हुए प्रकरण में सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस वकलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम - 1955 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित लाल स्याही से खसरा नम्बर 1552 की उत्तरी सीमा के सहारे - सहारे होता हुआ नक्शे में दर्शितानुसार 4 मीटर चौड़ाई एंव

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:20 IST
Reason: SelfAttested

16/10/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

82 मीटर लम्बाई मे कुल 328 वर्गमीटर भूमि मे रास्ता दिये बाबत अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करने का निवेदन अपनी बहस में किया है। वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता दिये जाने बाबत अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए प्रार्थीगण के आवागमन हेतु पूर्व से ही अन्य दीगर वैकल्पिक रास्ता होने तथा उस रास्ते से ही प्रार्थीगण के आवागमन करने बाबत अवगत कराया गया।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय ध्यानपूर्वक सुनी। बहस पर सागौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट भू0 अभिलेख निरीक्षक महरोली व पटवारी हल्का महरोली द्वारा तैयार की संयुक्त मौका जॉच रिपोर्ट, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की वस्तुस्थित की तथ्यात्मक मौका जॉच रिपोर्ट मय प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में प्रार्थीगण अपने खेत भूमि खसरा नम्बर 1549 रकबा 1.70 हैक्टर तन ग्राम छीलावाली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के उत्तरी पूर्वी कोने में बने आवासीय मकान व खेत में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना प्रतीत होता है। खसरा नम्बर 1442 व 1550 में मकान, दुकान आदि होने से सड़क तक रास्ता सम्भव नहीं होना प्रकट होता है। प्रार्थीगण के अपने खेत खसरा नम्बर 1549 में आने जाने हेतु एकमात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 1552 की उत्तरी सींव के सहारे–सहारे पूर्व–पश्चिम से होना प्रकट होता है। जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा इस रास्ते के अलावा अन्य रास्ता प्रार्थीगण के होना अपनी बहस में अवगत कराया है लेकिन वो रास्ते किन–किन खसरा नम्बरान् से होकर जाते है तथा वो रास्ते उक्त प्रस्तावित रास्ते से लघुत्तम व निकटतम रास्ता है या नहीं। इस बारे में कहीं भी अपनी बहस में अवगत नहीं कराया गया है। जिससे यह प्रतित होता हो कि प्रार्थीगण के उक्त रास्ते के अलावा अन्य ओर भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिस[illegible] द्वारा आवागमन किया जा रहा हों। अतः ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:20 IST
Reason: SelfAttested

16/10/23

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

रास्ता नही लिया जाकर वर्तमान प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन राशि अदा कर रास्ता लिये जाने बाबत अवगत कराया गया।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध में एवं राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों/साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। जिसके तहत प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता 4 मीटर अर्थात 15 फुट की चौड़ाई में वर्तमान में प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर देने पर सहमति व्यक्त करते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ता जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है को प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में 15 फुट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने बाबत सहमति प्रदान किये जाने से उचित प्रतित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने, जोत की सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता होने तथा मुख्य सड़क व मुख्य आबादी से निकटतम /लघुत्तम होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के तहत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर उक्त संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते के काम आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर राज्यकोष में जमा करवाये जाने के उपरान्त नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया जाकर उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रतिकर राशि का निर्धारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:20 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
16/10/23

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थी से ली जाकर राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही किया जाना उचित समझते है। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है एंव आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1549 रकबा 1.70 हैक्टर तन ग्राम छीलावाली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 व उसमें स्थित प्रार्थीगण के मकानात तक आवागमन के रास्ता जो 15 फुट चौडाई का भूमि खसरा नम्बर 1552 में से उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे होता हुआ नजरी नक्शा मय नक्शा ट्रेस एवं पर्चा रिपोर्ट तक 15 फुट चौडाई की भूमि, को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें। चूंकि रास्ते में लगने वाली भूमियॉ बिला नाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से (रकबा रास्ता कम करने के बाद) खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रार्थीगण को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शितानुसार भूमि खसरा नम्बर 1549 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1552 में से दिये जाने वाले प्रस्तावित रास्ते की प्रतिकर राशि का [illegible]रण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर [illegible] रास्ते में काम आने वाली भूमियों की कुल निर्धारित मूल्यांकन राशि का आंक[illegible] कर आंकलित राशि प्रार्थीगण से राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:20 IST
Reason: SelfAttested

16/10/23

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही की जावे। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

16/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 16.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:20 IST
Reason: SelfAttested